संख्या-3/2018/70/38-6-18-05(एसआरएलएम)/2017

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक-30 जनवरी, 2018**

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं0-13(सामान्य मद) में अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-2451/आजीविका/लेखा/2017-18, दि0-29.12.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-जे-12036/01/2017-आरएल(एनआरएलएम-48ए), दि0-23.12.2017 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत(एनआरएलएम) अनुदान सं0-13 सामान्य मद में केन्द्रांश की द्वितीय किश्त रू0-4559.74 लाख अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 60 प्रतिशत तथा राज्यांश के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गई है। योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु सामान्य मद अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत रू0-48200.00 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है।

2- भारत सरकार के उक्त आदेश दि0-23.12.2017 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु एनआरएलएम के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 सामान्य मद में अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त रू0-4559.74 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शासनादेश सं0-02/2018/06/38-6-18-5(एसआरएलएम)/2017, दि0-11.01.2018 के माध्यम से स्वीकृत की गई है। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष में एनआरएलएम के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 सामान्य मद में हुई बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-30,39,82000.00(रूपये तीस करोड उन्तालीस लाख बयासी हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु वस्तुत: अवमुक्त किया जा रहा है।

(3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय एनआरएलएम/एनआरएलपी के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। वित्तीय नियमों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वाराप्रश्नगत धनराशि को आहरित/व्यय करने में वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190, दिनांक-03-08-2017 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु राज्य सरकार को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2018 को समर्पित कर दी जाएगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-66/10-18, दि0-18.01.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-3/2018/70(1)/38-6-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://bhoomidesh.up.nic.in